छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 25/06/2011

क्रमांक एफ 20–107/2009/11/(6) राज्य शासन एतद् द्वारा औद्योगिक नीति 2009–14 में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अधिसूचित ''तकनीकी पेटेन्ट अनुदान योजना'' को क्रियान्वित करने हेतु दिनांक 01 नवंबर, 2009 से प्रभावी **''छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2009''** निम्नानुसार लागू करता है :–

1 परिचय :–

राज्य में औद्योगिक इकाइयों को उनके पेटेन्ट व बौद्धिक संपदा के अधिकारों के प्रति जागरूक करने व पेटेन्ट पंजीकृत कराने तथा उद्योगों में शोध एवं अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य में तकनीकी पेटेन्ट अनुदान योजना लागू है, जो औद्योगिक नीति 2009–14 के कार्यकाल में भी संशोधित प्रावधानों के साथ लागू रहेगी ।

2 परिभाषाएं :–

इस योजना के अन्तर्गत नवीन उद्योग, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, वाणिज्यक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, अप्रवासी भारतीय/शत प्रतिशत एफ.डी.आई. निवेशक/ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योग, विकलांग, महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय पद पर कार्यरत कर्मचारी तथा राज्य के मूल निवासी एवं इस अधिसूचना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक अन्य परिभाषाएं, वही होगी जो औद्योगिक नीति 2009–14 के परिशिष्ट –1 पर दी गयी है ।

वैध दस्तावेज में सम्मिलित है –लघु उद्योग पंजीयन/ ई.एम.पार्ट–1/आई.ई.एम./औद्योगिक लायसेंस/आशय पत्र । इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु दस्तावेज की वैधता हेतु यह आवश्यक है कि दस्तावेज के निर्धारित वैधता अवधि में संबंधित उद्योग के पास भूमि का वैध आधिपत्य हो, या वैधता अवधि में उद्योग स्थापित करने हेतु बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से ऋण की स्वीकृति/सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त कर ली हो ।

3 नियम –

''तकनीकी पेटेन्ट अनुदान योजना'' को क्रियान्वित करने के लिये बनाये गये नियम **''छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2009''** कहे जावेगें ।

4 पात्रता –

(1) औद्योगिक नीति 2009–14 की कालावधि दिनांक 01.11.2009 से 31.10.2014 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले (उपाबंध–2 में दर्शाये गये उद्योगों को छोड़कर) समस्त नवीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को उनके द्वारा उनके उत्पाद / उत्पादन प्रक्रिया के पेटेन्ट पंजीकृत कराने के उपरांत अनुदान की पात्रता होगी ।

(2) पात्र औद्योगिक इकाईयों को पेटेन्ट पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होने के दिनांक/ इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक/ वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक जो पश्चात्वर्ती हो, से एक वर्ष की कालावधि के भीतर आवेदन करना होगा ।

(3) भारत शासन/ राज्य शासन या अन्य राज्य शासन के निगम/ मंडल/संस्था / बोर्ड/ आयोग द्वारा स्थापित उद्योगों को अनुदान की पात्रता नहीं होगी ।

(4) उद्योग में पेटेन्ट पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के दिनांक या वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक, जो पश्चातवर्ती हो, से न्यूनतम 05 वर्ष तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, उपलब्धता की स्थिति में कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये जाने पर ही अनुदान की पात्रता होगी ।

(5) औद्योगिक इकाई के द्वारा यदि भारत शासन उद्योग मंत्रालय, अन्य मंत्रालय /राज्य शासन के किसी विभाग/एजेन्सी/ वित्तीय संस्थाओं से पेटेन्ट पंजीयन पर अनुदान प्राप्त किया हो, तो उन्हें अनुदान की पात्रता नहीं होगी ।

(6) भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय/ अन्य मंत्रालयों/ पंजीकृत पेटेन्ट हाउस से पेटेन्ट पंजीकृत कराने पर ही अनुदान की पात्रता होगी ।

(7) औद्योगिक इकाई को प्रति उत्पाद / प्रक्रिया / शोध पर केवल एक बार ही अनुदान की पात्रता होगी।

(8) विकसित उत्पाद/ प्रक्रिया जिसका पेटेन्ट कराया गया है का वाणिज्यिक उत्पादन /उपयोग, पेटेन्ट कराने वाली औद्योगिक इकाई द्वारा ही किया जाना आवश्यक होगा ।

(9) औद्योगिक नीति 2004–09 की कालावधि में जिन पात्र उद्योगों ने नियत दिनांक 1.11.2004 को/के पश्चात् उद्योग स्थापना हेतु सक्षम अधिकारी से लघु उद्योग पंजीयन/ई.एम. पार्ट–1/आई.ई.एम./आशय पत्र/औद्योगिक लायसेंस धारित किया हो जो वैध हो किन्तु 31 अक्टूबर 2009 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया हो, उन्हें भी औद्योगिक नीति 2009–2014 के अर्न्तगत (उपाबंध–2 में दर्शाये गये उद्योग न होने पर) इस अधिसूचना के अधीन अनुदान प्राप्त करने का विकल्प होगा ।

5 प्रक्रिया व अधिकार –

5.1– पात्र औद्योगिक इकाईयों को उपाबंध–1 अनुसार निर्धारित आवेदन पत्र में निम्नांकित दस्तावेजों के साथ संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन करना होगा जिसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति उपाबंध–4 में निर्धारित प्रारूप में कार्यालय द्वारा दी जावेगी ।

(1) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई.एम. पार्ट–1/आई.ई.एम. /औद्योगिक लायसेंस /आशय पत्र ।

(2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई.एम. पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र।

(3) उपाबंध–3 में निर्धारित प्रारूप पर चार्टड एकाउन्टेंट का व्यय से संबंधित प्रमाण पत्र।

(4) तकनीकी पेटेंट से संबंधित प्रमाण पत्र /स्वीकृति प्रमाण पत्र की प्रति।

(5) अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ।

(6) विकलांग से संबंधित प्रकरणों में विकलांगता के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

(7) सेवा निवृत्त सैनिक से संबंधित प्रकरणों में संबंधित प्रशासकीय विभाग/ कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र ।

(8) नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति से संबंधित प्रकरणों में संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

5.2– पात्र औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने ई.एम. पार्ट–2 तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र एवं तकनीकी पेटेन्ट से संबंधित प्रमाण पत्र/स्वीकृति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

5.3– मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में प्रस्तुत स्वत्व का परीक्षण ''उपाबंध 5'' के अनुसार सहायक प्रबंधक स्तर के अधिकारियों से कराकर ''स्वत्व'' के नियमों के अधीन होने पर ''उपाबंध–6'' में निर्धारित प्रारूप पर ''स्वीकृति आदेश'' जारी किया जावेगा

मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में प्रबंधक स्तर के अधिकारियों से निरीक्षण कराकर अपने अभिमत के साथ आवेदन पत्र सत्यापित सहपत्रों सहित पूर्ण आवेदन प्रस्तुत होने के 30 दिवसों के भीतर उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय को प्रेषित किया जावेगा जिस पर अपर संचालक उद्योग/ संयुक्त संचालक द्वारा स्वत्वों के नियमों के अधीन होने पर ''उपाबंध 6'' में निर्धारित प्रारूप पर स्वीकृति आदेश जारी किया जावेगा ।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का स्वत्व नियमानुसार न होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा, जिसमें स्वत्व के ''निरस्तीकरण'' का कारण व निरस्तीकरण आदेश से औद्योगिक इकाई के सहमत न होने की स्थिति अपीलीय अधिकारी को निर्धारित अवधि 45 दिवसों में अपील करने संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख होगा ।

5.4– तकनीकी पेटेन्ट अनुदान स्वीकृति के पश्चात् उद्योग संचालनालय द्वारा तकनीकी पेटेन्ट अनुदान के बजट का आवंटन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों से प्राप्त मांग के आधार पर बजट उपलब्ध होने पर किया जावेगा ।

5.5– जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा बजट आंवटन उपलब्ध होने पर ही औद्योगिक इकाई को स्वीकृत अनुदान की राशि वितरित की जावेगी । अनुदान का वितरण ''अनुदान स्वीकृति'' के दिनांक के क्रम में किया जावेगा ।

5.6– बजट आवंटन के अभाव में अनुदान की राशि देने में विलंब होने पर विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा ।

5.7– राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये गये रोजगार का सत्यापन की प्रक्रिया उद्योग संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 164/औनीप्र/उसंचा–रा/2005/9766–81 दिनांक 13 जून 2006 के अनुसार की जावेगी ।

6 अनुदान की मात्रा –

औद्योगिक इकाई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय नियमों कानूनों के अंतर्गत अपने शोध कार्य / आविष्कार पर पेटेंट पंजीकरण प्राप्त होने के उपरांत उद्यमियों द्वारा किये गये व्यय पर अनुदान की वर्गवार पात्रता निम्नानुसार होगी :–

क्र.	उद्यमी का वर्ग	अनुदान की मात्रा	अधिकतम सीमा राशि
1	सामान्य	व्यय का 50 प्रतिशत,	रू. 5.00 लाख,
2	अप्रवासी भारतीय तथा शत प्रतिशत एफ. डी.आई. निवेशक	व्यय का 55 प्रतिशत	रू. 5.25 लाख
3	विकलांग / महिला उद्यमी / सेवानिवृत्त सैनिक / नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति	व्यय का 60 प्रतिशत	रू. 5.50 लाख
4	अनुसूचित जाति / जनजाति	व्यय का 60 प्रतिशत	रू. 6.00 लाख

पेटेन्ट पंजीकरण प्राप्त करने में हुए व्ययों में सम्मलित है–आवेदन शुल्क /अंकेक्षण शुल्क/पेटेंट शुल्क/लायसेंस शुल्क, प्रशिक्षण व्यय, तकनीकी कन्सलटेन्सी व्यय, पंजीकृत एजेंट को भुगतान किया गया कमीशन और पेटेन्ट कराये गये उत्पाद के अनुसंधान एवं शोध हेतु स्थापित यंत्र एवं साज–सज्जा पर हुआ व्यय एवं अन्य व्यय (यात्रा व्यय, होटल व्यय, टेलीफोन, मोबाईल व पत्राचार व्यय) का समावेश पात्र व्ययों की गणना में नहीं लिया जावेगा ।

7 अनुदान की वसूली –

(7.1) यदि औद्योगिक इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये है या तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है और इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान की पूर्ण राशि मय ब्याज एकमुश्त वसूली योग्य हो जावेगी एवं यह वसूली भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल की जा सकेगी । ब्याज की दर, वसूली आदेश जारी होने के दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू पी.एल.आर. से 2 प्रतिशत अधिक होगी तथा पूर्ण वसूली के दिनांक तक ब्याज देय होगा ।

(7.2) अनुदान स्वीकृतिकर्ता को यह अधिकार होगा कि तकनीकी पेटेन्ट अनुदान का स्वत्व स्वीकृत होने के पश्चात भी नियमानुसार नहीं पाये जाने पर स्वीकृति आदेश निरस्त कर सके एवं यदि तकनीकी पेटेन्ट अनुदान की राशि औद्योगिक इकाई को भुगतान कर दी गई है तो वसूल कर सकें ।

(7.3) औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार

का प्रतिशत उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 4 (4) में उल्लेखित प्रतिशत से कम हो जाता है तो अनुदान की राशि ब्याज सहित वसूल की जा सकेगी ।

(7.4) पेटेन्ट पंजीकृत कराने वाली औद्योगिक इकाई द्वारा यदि पेटेन्ट का विक्रय अथवा उपयोग की अनुमति अन्य औद्योगिक इकाई / व्यक्ति /संस्था को पेटेन्ट प्राप्ति के 5 वर्षों के भीतर दी जाती है तो अनुदान की राशि ब्याज सहित वसूल की जा सकेगी ।

(7.5) यदि औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत अनुसूचित जाति / जनजाति से संबंधित स्थायी जाति प्रमाण–पत्र/ विकलांगता से संबंधित प्रमाण–पत्र/सेवा निवृत्त सैनिक से संबंधित प्रमाण–पत्र/ नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति से संबंधित प्रमाण–पत्र /अप्रवासी/ शत प्रतिशत एफ.डी.आई.निवेशक प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो इस वर्ग के उद्यमियों को दी गई अतिरिक्त अनुदान की राशि वसूली योग्य होगी ।

8 <u>अपील / वाद –</u>

(1) मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय को प्रस्तुत की जा सकेगी, किन्तु यदि आयुक्त, उद्योग संचालनालय ही भारसाधक सचिव (अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव) छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग हैं तो प्रथम अपील अपर संचालक, उद्योग संचालनालय को प्रस्तुत की जावेगी।

(2) प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील भारसाधक सचिव (अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव) छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को प्रस्तुत की जा सकेगी ।

(3) सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में अपील शुल्क रूपये 1000/– एवं मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में रूपये 2000/– का भुगतान करने पर ही अपील स्वीकार होगी। अपील शुल्क का भुगतान प्रथम अपील के साथ देय होगा। द्वितीय अपील पर कोई शुल्क देय नहीं होगा। अनुसूचित जाति/ जनजाति के प्रकरणों में कोई अपील शुल्क देय नहीं होगा ।

<u>शुल्क जमा किये जाने के लिये बजट शीर्ष निम्नानुसार होंगे :–</u>

<u>राज्य स्तर के प्रकरणों हेतु</u>	बजट शीर्ष – 0852 उद्योग (80) उपभोक्ता (उद्योग) 800–(अन्य प्राप्तियां) 0674– अन्य प्राप्तियां
<u>जिला स्तर के प्रकरणों हेतु</u>	बजट शीर्ष – 0851 उद्योग (80) उपभोक्ता (उद्योग) 800 –(अन्य प्राप्तियां) 0674 – अन्य प्राप्तियां

(4) अपील शुल्क का भुगतान निर्धारित हेड के तहत स्वीकार करते हुए चालान के द्वारा स्वत्व निरस्तीकरण अधिकारी/अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जावेगा/जमा किया जावेगा ।

(5) कोई भी अपील आदेश जारी होने के 45 दिवसों के भीतर करनी होगी ।

(6) अपीलीय अधिकारी को अपील करने में हुए विलंब तथा अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुये विलंब एवं अधिसूचना के अधीन किसी अन्य बिन्दु पर प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर विचार कर निर्णय लेने का अधिकार होगा । अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जावेगा ।

9 अनुदान प्राप्त औद्योगिक इकाई का दायित्व :–

(1) औद्योगिक इकाई को अनुदान की प्राप्ति के पश्चात् न्यूनतम पांच वर्षों तक उद्योग निरंतर कार्यरत रखना होगा ।

(2) तकनीकी पेटेन्ट अनुदान प्राप्ति के पश्चात् आयुक्त/ संचालक उद्योग की पूर्वानुमति के बिना इकाई के कारखाना स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, कारखाने का कोई भाग अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा तथा ना ही स्वामित्व परिवर्तन किया जा सकेगा तथा कारखाने के अधोसंरचना तथा स्थायी परिसम्पतियों में कोई परिर्वतन नहीं किया जावेगा । उपरोक्त प्रकरण के आवेदन पत्रों पर उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग को प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर इन बिन्दुओं पर निर्णय का अधिकार होगा ।

(3) अनुदान की पात्रता अवधि में अकुशल, कुशल तथा प्रबंधकीय वर्ग में दिये गये रोजगार का बिन्दु क्र. 4(4) में उल्लेखित प्रतिशत बनाये रखना होगा ।

10 कार्यकारी निर्देश –

योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग सक्षम होंगें । अनुदान से संबंधित किसी मुद्दे पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय द्वारा मार्गदर्शन दिया जावेगा ।

11 स्वप्रेरणा से निर्णय –

राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग किसी भी अभिलेख को बुला सकेगा तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वे नियमानुसार उचित समझें परन्तु अनुदान को निरस्त करने या उसमें परिवर्तन के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा ।

12 फेसिलिटेशन काउंसिल–

औद्योगिक इकाइयों को पेटेन्ट व बौद्धिक सम्पदा के अधिकारों के प्रति जागरूकता, राष्ट्रीय /अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर पेटेन्ट के संबंध में हो रहे कार्यकलाप, व वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर), टेक्नोलॉजी इनफरमेशन फोरकास्टींग एण्ड असिसमेंट कांउन्सिल से सतत सम्पर्क में रह कर पेटेन्ट पंजीयन को प्रोत्साहित करने तथा राज्य में स्थापित उद्योगों में शोध एवं अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उदेश्य की पूर्ति हेतु उद्योग संचालनालय में एक ''फेसिलिटेशन काउन्सिल'' भी होगी जिसका प्रभारी उप संचालक स्तर का अधिकारी होगा ।

फेसिलिटेशन काउन्सिल में तकनीकी पेटेन्ट / बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार आदि के सबंध में पूर्ण साहित्य तथा अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय स्तर पर पेटेन्ट / बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार इत्यादि पर हो रहे परिर्वतनों की जानकारी रखी जावेगी । काउन्सिल की बैठक सामान्यतः 6 माह में एक बार होगी एवं फेसिलिटेशन सेल संबधी व्यय सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा वहन किया जावेगा ।

फेसिलिटेशन सेल का स्वरूप निम्नानुसार होगा –

1	भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	अध्यक्ष
2	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्ह.कार्पो.लि. या उनका नाम निर्देशिती (जो कार्यपालक संचालक स्तर से कम न हो)	सदस्य
3	संचालक, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम संस्थान या उनके नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
4	रविशंकर विश्व विद्यालय, रायपुर द्वारा नामांकित कम से कम डाक्टरेट उपाधि धारक प्रतिनिधि	सदस्य
5	कृषि विश्व विद्यालय, रायपुर द्वारा नामांकित कम से कम डाक्टरेट उपाधि धारक प्रतिनिधि	सदस्य
6	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के नामांकित वैज्ञानिक/यंत्री	सदस्य
7	छत्तीसगढ़ उद्योग महासंघ द्वारा नाामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
8	छत्तीसगढ़ लद्यु एवं सहायक उद्योग संघ द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
9	लघु उद्योग भारती द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
10	उद्योग आयुक्त/ संचालक/अपर संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय	सदस्य सचिव

13 नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

14 इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर छत्तीसगढ़ राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा ।

15 **<u>योजना का क्रियान्वयन –</u>**

योजना का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

हस्ताक्षरित
(दिनेश श्रीवास्तव)
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
रायपुर

उपाबंध–1

(देखें नियम 5.1)

(''छत्तीसगढ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2009'' के अन्तर्गत अनुदान हेतु आवेदन पत्र)

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता –

2– फैक्ट्री स्थल–
स्थान –
विकास खंड
जिला –

3– औद्योगिक इकाई का संगठन–

4– उद्यमी का वर्ग–

5– ई.एम.पार्ट–1 एवं ई.एम.पार्ट–2 क्रमांक

6– वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक
6.1 उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता एवं
6.2 वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक –
6.3 स्थायी पूंजी निवेश (रू. लाखों में) –

7– पेटेन्ट प्राप्ति करने का विवरण –

8– पेटेन्ट प्राप्त करने पर किया गया व्यय–

9– क्लेम राशि –

10– **रोजगार–**

श्रम वर्ग	रोजगार क्षमता	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत
1	2	3	4	5
अकुशल वर्ग अ ..... ब ..... स				
कुशल वर्ग अ ..... ब ..... स				
प्रबंधकीय / प्रशासकीय वर्ग अ ..... ब ..... स				
योग				

स्थान :
दिनांकः

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
पदमुद्रा
औद्योगिक इकाई का नाम व पता

शपथ–पत्र

मैं ..... आत्मज..... प्रबंध संचालक / संचालक / एकल स्वामी / साझेदार, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता औद्योगिक इकाई ....जिसका पंजीकृत पता .... है व फैक्ट्री..... में स्थित है व ई.एम.पार्ट–1 क्रमांक ..... .दिनांक .....एवं ई.एम.पार्ट–2 प्रमाण पत्र क्रमांक.....दिनांक ..... / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक..... दिनांक ..... है निम्नानुसार घोषणा करता हूँ –

1– औद्योगिक इकाई .....ने ''पेटेन्ट'' .....प्राप्त किया है जिसका पंजीयन क्रमांक..... है व इसका उपयोग औद्योगिक इकाई के उद्योग में ही उत्पाद निर्माण / उत्पाद प्रक्रिया में किया जा रहा है ।

2– यह प्रमाणित किया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2009 का पूर्णतः अध्ययन कर लिया है एवं इसके सभी प्रावधानों का पालन किया जायेगा ।

3– यह भी घोषणा की जाती है कि औद्योगिक इकाई के उद्योग में उद्योग में पेटेन्ट पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के दिनांक या वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक, जो पश्चातवर्ती हो, से न्यूनतम 05 वर्ष तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, उपलब्धता की स्थिति में कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को दिया जाता रहेगा ।

4– औद्योगिक इकाई द्वारा तकनीकी पेटेन्ट प्राप्ति उपरांत भारत सरकार /राज्य शासन के किसी अन्य विभाग/ वित्तीय संस्थाओं में अनुदान हेतु कोई आवेदन नहीं किया है ।/अनुदान प्राप्त नहीं किया है ।

या

औद्योगिक इकाई द्वारा तकनीकी पेटेन्ट प्राप्ति उपरांत भारत सरकार /राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग/ वित्तीय संस्थाओं में अनुदान हेतु आवेदन किया है /अनुदान प्राप्त किया है ।

5– उपरोक्त जानकारी गलत /त्रुटिपूर्ण / मिथ्या पाये जाने पर अन्यथा किसी भी घोषणा का उल्लंघन पाये जाने पर या स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा तकनीकी पेटेन्ट अनुदान स्वीकृति आदेश निरस्त कर अनुदान की राशि वापिसी की मांग की जाती है तो 15 दिवसों के भीतर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को अनुदान राशि मय निर्धारित ब्याज वापस की जावेगी ।

स्थान :
दिनांकः

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
पदमुद्रा
औद्योगिक इकाई का नाम व पता

उपाबंध– 2

औद्योगिक नीति 2009–14 का परिशिष्ट–2

(संतृप्त उद्योगों की सूची जिन्हें अनुदान की पात्रता नहीं है)

(देखें नियम– 4(1) एवं 4 (9))

(1) स्टोन क्रेशर/गिट्टी निर्माण

(2) कोल एवं कोक ब्रिकेट, कोल स्क्रीनिंग (कोल वाशरी को छोड़कर)

(3) लाईम पाउडर, लाईम चिप्स, डोलोमाईट पाउडर एवं समस्त प्रकार के मिनरल पाउडर

(4) समस्त खनिज पदार्थों की क्रशिंग, ग्राईडिंग, पलवराइजिंग

(5) चूना निर्माण,

(6) पान मसाला, सुपारी एवं अन्य तंबाकू आधारित उद्योग

(7) पॉलिथन बेग (एच.डी.पी.ई. बेग्स को छोड़कर)

(8) एल्कोहल, डिस्टलरी एवं एल्कोहल पर आधारित बेवरेजेस

(9) स्पांज आयरन

(10) राईस मिल

(11) मिनी सीमेंट प्लांट/क्लिंकर

(12) फटाका, माचिस एवं आतिशबाजी से संबंधित उद्योग

(13) आरा मिल (सॉ मिल)

(14) लेदर टैनरी

(15) जाब वर्क्स (सूक्ष्म उद्योगों द्वारा किये जाने वाले जॉब वर्क को छोड़कर)

(16) भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम द्वारा स्थापित उद्योग

(17) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किए जाएं

,,,,,,

टीपः– संतृप्त श्रेणी का उद्योग अन्य किसी श्रेणी के उद्योग के साथ स्थापित किये जाने की दशा में सम्पूर्ण परियोजना को संतृप्त श्रेणी का मानते हुये अनुदान एवं छूट की पात्रता निर्धारित की जायेगी ।

औद्योगिक नीति 2009–14 के परिशिष्टि–5 में सम्मिलित उद्योग, जिन्हें अनुदान की पात्रता नहीं होगी

अ– सीमेंट / क्लिंकर प्लांट

ब– इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट

स– एल्यूमिना / एल्युमिनियम प्लांट

द– ताप विद्युत संयंत्र (केप्टिव विद्युत संयंत्र को छोड़कर)

उपाबंध–3

(देखें नियम 5.1 (3)

(चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाण–पत्र)

(लेटर हैड पर मूल प्रति में)

1– औद्योगिक इकाई ..... जिसका पंजीकृत पता ..... है व कारखाना..... में स्थित है, जिसका ई.एम.पार्ट–1 क्रमांक .....दिनांक .....एवं ई.एम.पार्ट–2 प्रमाण पत्र क्रमांक .....दिनांक ..... / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक ..... है, ने पेटेन्ट पंजीयन प्रमाण पत्र/पेटेन्ट स्वीकृति प्रमाण पत्र क्रमांक ..... दिनांक..... प्राप्त किया है, जिस पर दिनांक.....तक किया गया व्यय रूपये..... (अक्षरों में)..... है निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है:–

क0	**विवरण पेटेन्ट पंजीयन पर किया गया व्यय**	**पेटेन्ट पंजीयन विभाग / पेटेन्ट एजेन्ट जिसे भुगतान किया गया है**	**व्यय राशि**	**भुगतान राशि**
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
1	आवेदन शुल्क			
2	अंकेक्षण शुल्क			
3	लायसेंस शुल्क			
4	प्रशिक्षण व्यय			
5	तकनीकी कन्सलटेंसी व्यय			
6	पेटेन्ट एजेन्ट कमीशन व्यय			
7	अनुसंधान एवं शोध हेतु स्थापित यंत्र एवं साज सज्जा संबंधी व्यय			
8	पेटेंट शुल्क			
9	अन्य व्यय			
	योग			

स्थान :
दिनांक:

चार्टर्ड एकाउण्टेंट का नाम व पता
पदमुद्रा
हस्ताक्षर
सदस्यता क्रमांक

''उपाबंध–4''

(देखें नियम 5.1)

(अभिस्वीकृति)

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला.....

मेसर्स ..... पता.....

..... द्वारा ''**छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम – 2009**'' ..... के अन्तर्गत आवेदन दिनांक.....

..(अक्षरी)..... को प्राप्त हुआ है। प्रकरण का पंजीयन क्रमांक ..... है । भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करें ।

स्थान –
दिनांक

हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी / कार्यालय
पदमुद्रा

''उपाबंध 5''

(देखें नियम 5.3)

''छत्तीसगढ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2009'' के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान आवेदन पर निरीक्षण प्रतिवेदन व अभिमत

निरीक्षण अधिकारी की टीप व अभिमत

1— औद्योगिक इकाई का नाम व पता —

2— कारखाना स्थल—

स्थान —

विकास खंड —

जिला —

3— औद्योगिक इकाई का संगठन—

4— उद्यमी का वर्ग—

5— ई.एम.पार्ट—1 क्रमांक .....दिनांक .....

एवं ई.एम.पार्ट—2 प्रमाण पत्र कमांक.....दिनांक .....

6— वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक —

6.1 उत्पाद

6.2 वार्षिक उत्पादन क्षमता

6.3 वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक —

6.4 स्थायी पूंजी निवेश (रू. लाखों में) —

7— पेटेन्ट प्राप्त करने संबंधी विवरण व पंजीयन क्रमांक —

8— पेटेन्ट प्राप्त करने पर किया गया व्यय—

9— उद्योग वर्तमान में कार्यरत/ बंद है ।

10— **रोजगार—**

श्रम वर्ग	रोजगार क्षमता	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत
अकुशल वर्ग अ ..... ब ..... स				
कुशल वर्ग अ ..... ब ..... स				
प्रबंधकीय/ प्रशासकीय वर्ग अ ..... ब ..... स				
योग				

11– औद्योगिक इकाई द्वारा प्राप्त पेटेन्ट का प्रयोग औद्योगिक इकाई के उद्योग में निर्मित उत्पाद / उत्पादन प्रक्रिया में होने बाबत टीप

12– औद्योगिक इकाई द्वारा प्राप्त किये गये तकनीकी पेटेन्ट अनुदान ....पर की गई व्यय राशि में .....रू. मान्य है । अमान्य की गई राशि व उसका कारण निम्नानुसार है :–

1–
2–
3–
4–

13– अभिमत एवं अनुशंसा :

निरीक्षणकर्ता अधिकारी के

स्थान :
दिनांक

हस्ताक्षर
नाम
पद
पदमुद्रा

''उपाबंध–6''

(देखें नियम 5.3)

''छत्तीसगढ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2004'' के अन्तर्गत स्वीकृति आदेश

उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ /
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
छत्तीसगढ़

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक ..... द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम 2009 के नियम क्रमांक ''5.3'' में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन निम्नानुसार तकनीकी पेटेन्ट अनुदान के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद द्वारा जारी की जाती है ।

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता :

2– उद्योग का स्वरूप :

3– औद्योगिक इकाई का संगठन– :

4– उद्यमी का वर्ग– :

5– उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता–

6– वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक

7– औद्योगिक इकाई का कार्यस्थल–
(स्थान, विकास खंड व जिला)

8– पेटेन्ट का पंजीयन क्रमांक /दिनांक /संस्था

9– पेटेन्ट पर किया गया अनुमोदित व्यय–

10– स्वीकृत अनुदान राशि (अंकों व अक्षरों में)

(2) यह राशि वित्तीय वर्ष– ..... के निम्नलिखित बजट शीर्ष में विकलनीय होगी :–
मांग संख्या– .....

(3) यह स्वीकृति इन शर्तों के अधीन है कि औद्योगिक इकाई को अधिसूचना की समस्त कंडिकाओं का पालन करना होगा, कंडिकाओं के उल्लंघन पर स्वीकृति आदेश निरस्त किया जावेगा ।

अपर संचालक /संयुक्त संचालक,
उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़
मुख्य महाप्रबंधक /महाप्रबंधक /
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र .....